

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 अगस्त 2021—भाद्र 1, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्र. 10604-253-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 19 अगस्त, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २० सन् २०२१
मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम , २०२१

[दिनांक १९ अगस्त २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ अगस्त, २०२१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-४) अधिनियम, २०२१ है.

वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये ४५,८७,५८,६९,५९८ का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये चार हजार पांच सौ सतासी करोड़ अठ्ठावन लाख उनहत्तर हजार पांच सौ अठानवे होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(आंकड़े रुपयों में)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
००१.	सामान्य प्रशासन	राजस्व ४००	३३,६०,००,०००	३३,६०,००,४००
००३.	पुलिस	राजस्व १,००,०६,१०० पूंजी ४००	०	१,००,०६,१०० ४००
००५.	जेल	राजस्व १००	०	१००
००७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व १००	०	१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
००८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	२,२५,०००	०	२,२५,०००
०१०.	वन	राजस्व	२६,५५,१७,६९८	०	२६,५५,१७,६९८
		पूंजी	६००	०	६००
०१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	४७,३४,१८,२००	०	४७,३४,१८,२००
०१४.	पशुपालन एवं डेयरी	राजस्व	१४,०४,०९,१००	०	१४,०४,०९,१००
		पूंजी	१००	०	१००
०१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	१,२००	०	१,२००
०१७.	सहकारिता	राजस्व	३००	०	३००
०१८.	श्रम	राजस्व	२,५०,००,००,०००	०	२,५०,००,००,०००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१५,६६,०५,०१,६००	०	१५,६६,०५,०१,६००
		पूंजी	९,५६,००,५००	०	९,५६,००,५००
०२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	पूंजी	१,५००	०	१,५००
०२१.	लोक सेवा प्रबंधन	राजस्व	१००	०	१००
०२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	२,५२,९६,७००	०	२,५२,९६,७००
		पूंजी	१,५०,००,००,४००	०	१,५०,००,००,४००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०२३	जल संसाधन			
	राजस्व	४,३००	१००	४,४००
	पूंजी	६००	०	६००
०२४	लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल			
	पूंजी	६००	०	६००
०२५	खनिज साधन			
	राजस्व	०	८८,४३,६३,०००	८८,४३,६३,०००
०२६	संस्कृति			
	राजस्व	१००	०	१००
	पूंजी	२००	०	२००
०२७	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)			
	राजस्व	१,६००	०	१,६००
	पूंजी	१,२००	०	१,२००
०२९	विधि और विधायी कार्य			
	राजस्व	६,८००	०	६,८००
	पूंजी	२००	०	२००
०३०	ग्रामीण विकास			
	राजस्व	२०,१४,८६,०२,२००	०	२०,१४,८६,०२,२००
	पूंजी	७००	०	७००
०३३	जनजातीय कार्य			
	राजस्व	३८,००,००,३००	०	३८,००,००,३००
	पूंजी	१००	०	१००
०३४	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण			
	राजस्व	३,९००	०	३,९००
०३५	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			
	राजस्व	०	१०,२६,२००	१०,२६,२००
०३६	परिवहन			
	राजस्व	२,१९,२०,०००	०	२,१९,२०,०००
	पूंजी	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०३७	पर्यटन	राजस्व	१००	०	१००
०३८	आयुष	राजस्व	६००	०	६००
०३९	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण.	राजस्व	२,०००	०	२,०००
		पूंजी	१००	०	१००
०४०	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).	राजस्व	१००	०	१००
०४२	भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास.	राजस्व	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
		पूंजी	१००	०	१००
०४३.	खेल और युवा कल्याण	पूंजी	५,२५,३१,२००	०	५,२५,३१,२००
०४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	३००	०	३००
		पूंजी	९००	०	९००
०४६.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	राजस्व	१००	०	१००
०४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	७,८६,००,८००	०	७,८६,००,८००
		पूंजी	४००	०	४००
०४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	१,९००	०	१,९००
०४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	३,३००	०	३,३००
		पूंजी	२००	०	२००

(१)	(२)	(३)	
		रुपये	रुपये
०५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण		
	राजस्व	९७,२७,४०,७००	०
	पूंजी	२००	०
०५२.	चिकित्सा शिक्षा		
	राजस्व	७,३५,८३,४००	०
	पूंजी	२,८००	०
०५३.	लोक निर्माण कार्य- भवन		
	राजस्व	३३,००,००,०००	०
	पूंजी	१८,९६,००,३००	०
०५५.	महिला एवं बाल विकास		
	राजस्व	३,७८,७०,०००	०
	पूंजी	५००	०
०५६.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग		
	राजस्व	३,६९,१७,१००	०
०५७.	पर्यावरण		
	राजस्व	३००	०
०६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय		
	राजस्व	५०,००,००,०००	०
०६१.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय		
	राजस्व	४,३७,९००	०
	पूंजी	१,९१,००,२००	०
०६२.	पंचायत		
	राजस्व	४००	०
०६३.	अल्प संख्यक कल्याण		
	राजस्व	१००	०
	पूंजी	१,०१,१५,६१,२००	०
०६४.	पिछड़ा वर्ग कल्याण		
	पूंजी	२००	०

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०६५. विमानन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
	योग :			
	{ राजस्व :	४१,७६,६०,७२,९९८	१,२२,१३,८९,३००	४२,९८,७४,६२,२९८
	{ पूंजी :	२,८८,८४,०७,३००	०	२,८८,८४,०७,३००
	वृहद-योग :	४४,६५,४४,८०,२९८	१,२२,१३,८९,३००	४५,८७,५८,६९,५९८

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2021

क्र. 10604-253-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 20 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 20 of 2021

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 4) ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 19th August, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd August, 2021.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2021-2022.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 2021.

Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Four thousand five hundred eighty seven crore fifty eight lakh sixty nine thousand five hundred ninety eight towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2021-2022 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Issue of Rs. 45,87,58,69,598 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2021-22.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

Appropriation.

THE SCHEDULE
(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total	
		Rs.	Rs.	Rs.	
001.	General Administration	Revenue	400	33,60,00,000	33,60,00,400
003.	Police	Revenue	1,00,06,100	0	1,00,06,100
		Capital	400	0	400
005.	Jail	Revenue	100	0	100
007.	Commercial Tax	Revenue	100	0	100
008.	Land Revenue and District Administration	Revenue	2,25,000	0	2,25,000
010.	Forest	Revenue	26,55,17,698	0	26,55,17,698
		Capital	600	0	600
013.	Farmer Welfare and Agriculture Development.	Revenue	47,34,18,200	0	47,34,18,200
014.	Animal Husbandry and Dairying.	Revenue	14,04,09,100	0	14,04,09,100
		Capital	100	0	100
016.	Fisherman Welfare and Fisheries Development	Revenue	1,200	0	1,200
017.	Co-operation	Revenue	300	0	300
018.	Labour	Revenue	2,50,00,00,000	0	2,50,00,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
019.	Public Health and Family Welfare			
	Revenue	15,66,05,01,600	0	15,66,05,01,600
	Capital	9,56,00,500	0	9,56,00,500
020.	Public Health Engineering			
	Capital	1,500	0	1,500
021.	Public Service Management			
	Revenue	100	0	100
022.	Urban Development and Housing			
	Revenue	2,52,96,700	0	2,52,96,700
	Capital	1,50,00,00,400	0	1,50,00,00,400
023	Water Resources Department			
	Revenue	4,300	100	4,400
	Capital	600	0	600
024	Public Works-Roads and Bridges			
	Capital	600	0	600
025	Mineral Resources			
	Revenue	0	88,43,63,000	88,43,63,000
026	Culture			
	Revenue	100	0	100
	Capital	200	0	200
027	School Education (Primary Education)			
	Revenue	1,600	0	1,600
	Capital	1,200	0	1,200
029	Law and Legislative Affairs			
	Revenue	6,800	0	6,800
	Capital	200	0	200
030	Rural Development			
	Revenue	20,14,86,02,200	0	20,14,86,02,200
	Capital	700	0	700
033	Tribal Affairs			
	Revenue	38,00,00,300	0	38,00,00,300
	Capital	100	0	100
034	Social Justice and disabled Person welfare			
	Revenue	3,900	0	3,900

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
035	Micro, Small & Medium Enterprises			
	Revenue	0	10,26,200	10,26,200
036	Transport			
	Revenue	2,19,20,000	0	2,19,20,000
	Capital	2,00,00,000	0	2,00,00,000
037	Tourism			
	Revenue	100	0	100
038	Ayush			
	Revenue	600	0	600
039	Food, Civil Supplies and Consumer Protection.			
	Revenue	2,000	0	2,000
	Capital	100	0	100
040	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education).			
	Revenue	100	0	100
042	Bhopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation.			
	Revenue	1,00,00,000	0	1,00,00,000
	Capital	100	0	100
043.	Sports and Youth Welfare			
	Capital	5,25,31,200	0	5,25,31,200
044.	Higher Education			
	Revenue	300	0	300
	Capital	900	0	900
046.	Science and Technology			
	Revenue	100	0	100
047.	Technical Education, Skill Development and Employment.			
	Revenue	7,86,00,800	0	7,86,00,800
	Capital	400	0	400
048.	Narmada Valley Development			
	Capital	1,900	0	1,900
049.	Scheduled Caste Welfare			
	Revenue	3,300	0	3,300
	Capital	200	0	200
050.	Horticulture and Food Processing			
	Revenue	97,27,40,700	0	97,27,40,700
	Capital	200	0	200

(1)	(2)	(3)	
		Rs.	Rs.
052.	Medical Education		
	Revenue	7,35,83,400	0
	Capital	2,800	0
053.	Public Works-Buildings		
	Revenue	33,00,00,000	0
	Capital	18,96,00,300	0
055.	Women and Child Development		
	Revenue	3,78,70,000	0
	Capital	500	0
056.	Cottage and Rural Industry		
	Revenue	3,69,17,100	0
057.	Environment		
	Revenue	300	0
060.	Expenditure pertaining to District Plan Scheme.		
	Revenue	50,00,00,000	0
061.	Expenditure pertaining to Bundelkhand package.		
	Revenue	4,37,900	0
	Capital	1,91,00,200	0
062.	Panchayat		
	Revenue	400	0
063.	Minority Welfare		
	Revenue	100	0
	Capital	1,01,15,61,200	0
064.	Welfare of Backward Classes		
	Capital	200	0
065.	Aviation		
	Revenue	10,00,00,000	0
Total	{ Revenue	—	41,76,60,72,998
	{ Capital	—	2,88,84,07,300
	Grand Total	—	44,65,44,80,298
			1,22,13,89,300
			45,87,58,69,598